राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः एफ. 2(1)साप्र/2/2014 जयपुर, दिनांक 8 मई, 2014

–: आदेश :–

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :–

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	प्रस्तावित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1	2	3	5	6
1.	1/2012	श्री ललित दाधीच उप निदेशक (एसएचजी) महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर	III/8, गांधीनगर (एन–40, गांधीनगर के स्थान पर)	31.5.2025
2.	45/2012	डा0 राजकुमार यादव सहायक आचार्य रेडियोडायग्नोसिस सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जयपुर।	6/4 हीराबाग, जयपुर	30.9.2034
3.	1/2013	डा0 मोहमद ताहिर सहायक आचार्य प्रोस्थोडान्टिक्स विभाग राजकीय दन्त महाविधालय एवं चिकित्सालय जयपुर	5/6 हीराबाग, जयपुर	30.11.2037
4.	18/2013	डॉ0 शिखा श्रीवास्तव सहायक आचार्य ओरल पैथौलॉजी, राजकीय दन्त चिकित्सालय, जयपुर	6/5, हीराबाग, जयपुर	30.4.2041
5.	50/2013	डॉ0 जीतम सिंह मीणा सहायक आचार्य शिशु औषध सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	502, मॉडल टाउन मालवीयनगर, जयपुर	30.11.2039
6.	54/2013	श्री हनुमान सहाय मीणा अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन आयोजना विभाग, जयपुर	505, मॉडल टाउन मालवीयनगर	31.12.2014

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के

लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।

7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. क्रम संख्या 5 व 6 पर अंकित अधिकारी क्रमशः डॉ0 जीतम सिंह मीणा, सहायक आचार्य व श्री हनुमान सहाय मीणा, अधिशाषी अभियन्ता से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/– (अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा करायेगें।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. अधीक्षक, राजकीय दन्त चिकित्सालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. ~~निदेशक~~, उद्यान विङ्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर/मालवीयनगर/हीराबाग जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। **कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
16. श्री ललित दाधीच, उप निदेशक, एसएचजी, महिला अधिकारिता विभाग, निवासी एन–40, गांधीनगर, जयपुर–कृपया परिवर्तित आवास संख्या II/8, गांधीनगर जयपुर का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करावें।
17. संबंधित अधिकारीगण।
18. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
19. प्रबन्धक, सर्किट हाउस जयपुर/ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
20. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

8/5/14

(मुन्ना लाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव